(20)

संख्या –793/V-2–2016–06(आ0)/2016

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

आवास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 26 मई, 2016

विषय : उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लि0 के निबन्धन के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–435/लेखा/2016–17 दिनांक 24–5–2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लि0 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–430/V-2/2016–06(आ0)/2016, दिनांक 16–3–2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में मेट्रो रेल/मोनो रेल एवं भवन निर्माण आदि के नियोजन, निर्माण, सुधार, विकास प्रबन्धन, नियंत्रण तथा रखरखाव हेतु उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लि0 का कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठन किया गया है।

3– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लि0 को निम्नानुसार पंजीकृत किए जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का भी समावेश करने का कष्ट करें:–

(1) कम्पनी का नाम – उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लि0 अथवा जो कम्पनी रजिस्टार के द्वारा स्वीकृत किया जाय।

(2) कम्पनी की अधिकृत शेयर कैपिटल – रू0 10,00,000.00 (रूपये दस लाख मात्र) उक्त अधिकृत शेयर कैपिटल की राशि भविष्य में निदेशक मंडल की सहमति एवं कम्पनीज अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार बढ़ायी जा सकती है।

(3) शेयर मूल्य – रू0 10.00 (रूपये दस मात्र) प्रति शेयर।

(4) कम्पनी की पेडअप कैपिटल – रू0 10,00,000.00 (रूपये दस लाख मात्र)

(5) कम्पनी के प्रथम निदेशक –

(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
(2) सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन
(3) सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
(4) सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
(5) सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन
(6) सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन

JCA
6/6/16

(6) पेडअप शेयर कैपिटल के शेयर धारकों का विवरण–

कसं0	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या
1	महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड	99989
2	मुख्य प्रशासक (उडा)	1
3	उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	1
4	उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	1
5	जिलाधिकारी, देहरादून	1
6	जिलाधिकारी, हरिद्वार	1
7	अपर मुख्य प्रशासक (उडा)	1
8	संयुक्त मुख्य प्रशासक (उडा)	1
9	नगर आयुक्त, देहरादून	1
10	सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	1
11	सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1
12	सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण	1
	योग	1,00,000

(7) निदेशकों की संख्या – न्यूनतम 03, अधिकतम 14

(8) कम्पनी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष – उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित।

(9) कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक – निदेशक मंडल द्वारा चयनित।

(10) कम्पनी कम्पनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक शासकीय कम्पनी होगी।

(11) कम्पनी का निबन्धन कम्पनीज अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कराया जाए।

(12) उक्त एस0पी0वी0 के विस्तृत Memorandom of Association and Article of Association का गठन उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा के द्वारा कम्पनीज अधिनियम 2013 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाए।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या–793/v-2–2016–06(आ0)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य प्रशासक, आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
3. सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल/देहरादून।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।